Regarding reservation to Gujjar community

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) के तहत 5% विशेष आरक्षण प्रदान करने के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ, जिसमें गुर्जर सहित पाँच जातियां गाड़िया लुहार, बंजारा, रैबारी और राइका आती हैं । यह मुद्दा न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश के सामाजिक न्याय और समावेशिता से जुड़ा है ।

राजस्थान में इन समुदायों की आरक्षण की मांग लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद स्वीकार की गई । गुर्जर समुदाय ने कई बड़े आंदोलन किए, जिनमें अनेक लोगों की जानें गईं । उस समय चोपड़ा आयोग द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया गया है कि ये समुदाय वास्तव में आरक्षण की पात्रता रखते हैं । इसलिए वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम पारित कर इन समुदायों को एमबीसी श्रेणी में 5% आरक्षण प्रदान किया । इस कदम का उद्देश्य इन समुदायों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाना था ।

हमारा संविधान शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 50% की अधिकतम सीमा तय कर दी है । ? (व्यवधान)

यह जो 5 परसेंट आरक्षण है, इसको नौवीं अनुसची में डाला जाए, ताकि बार-बार न्यायालय में जाना नहीं पड़े, क्योंकि कई बार इस पर रोक लग गई है । ? (व्यवधान) गुर्जर समुदाय हमेशा प्रताड़ित रहता है । ? (व्यवधान)